न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 8 / 2022

गिरधारी पुत्र अमरचंद, उम्र 43 साल, जाति महाजन, निवासी बडसरी का बास, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

——अपीलान्ट

बनाम

1. गोविन्दराम
2. बनवारी लाल
3. शंकरलाल
   पुत्रगण स्व0 अमरचन्द, जाति महाजन, निवासी बडसरी का बास, तहसील सुरजगढ, जिला झुंझुनूं।
4. श्रीमान तहसीलदार चिडावा तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 29.04.1993 नामान्तरकरण सं0 13 बदालत तहसीलदार (भू0 अभि0) चिडावा वाके ग्राम बडवारी का बास तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं।

1. श्री सुरेन्द्र सिंह फोगाट, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट सं0 4 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 3 स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनांक 27.06.2022

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार चिडावा के आदेश दिनांक 29.04.1993 नामान्तरकरण संख्या 13 वाके ग्राम बडसरी का बास के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। संक्षेप मे अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न प्रकार से पेश है कि अदालत मातहत का आदेश नामान्तरकरण विरूद्ध कानून व पत्रावली है। वाके ग्राम बडसरी का बास तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं में भूमि हाल खसरा नं0 4, 5, 6 खाता न0 नया 93 व पुराना खाता संख्या 30 है व ख0न0 16, 17, 18, 19, 20 कुल किता 5 कुल रकबा 5.8400 हैक्टर स्थित है जिसका खातेदार अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 3 का पिता अमरचंद पुत्र मेघराज था जिसका देहांत हो गया और जमीन जैर बहस में उक्त अमरचंद का 3 / 5 हिस्सा था। उसी के अनुसार कब्जा काश्त रहा है। अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट के पिता अमरचंद का देहान्त होने पर अदालत मातहत के समक्ष अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस द्वारा फौतगी इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए आवेदन किया। परन्तु पटवारी हल्का द्वारा सही वारिसान की जांच नही की है और अपीलान्ट का नाम मानसिंह दर्ज कर दिया और दिनांक 29.04.1993 को नामान्तरकरण संख्या 13 दर्ज किया गया है। जबकि अपीलान्ट का नाम मानसिंह न होकर गिरधारी है। इस तथ्य पर गौर नही कर अदालत [illegible] कर दिया है। अपीलान्ट का नाम मानसिंह पुत्र अमरचंद नही हो कर सही नाम गिरधारी पुत्र अमरचंद है और इसी नाम से अपीलान्ट के आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र बने हुए है। [illegible] अदालत मातहत ने पटवारी हल्का द्वारा सही जांच नही कर गलत रूप से किए गये इन्द्राज पर ध्यान [illegible] देकर अपीलान्ट का नाम मानसिंह पुत्र अमरचंद दर्ज कर दिया। जो गलत दर्ज किया है। अपीलान्ट अपने हक व हिस्से के अनुसार जमीन जर पर काबिज है। परन्तु राजस्व रिकार्ड की ओर ध्यान नही दिया। अब अपीलान्ट द्वारा अपने हक व हिस्से की जमीन पर सुधार के लिए बैंक से ऋण लेना चाहा तो बैंक कर्मचारियो ने रिकार्ड देखकर बताया तब अपीलान्ट द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष आवेदन पत्र अ0धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया। जिसका निर्णय दिनांक 26.04.2021 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा इस प्रकार से किया गया कि उक्त प्रकरण धारा 136 भू0 राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.04 14:49:17 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम के तहत नही आता है। जो विरासतन इन्तकाल दर्ज किया गया है। उसकी अपील कर उक्त नाम दुरूस्त करवाया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर भूमि हाल खसरा नं0 4, 5, 6, व 16, 17, 18, 19, 20 वाके ग्राम बडसरी का बास व अगवाना कलां तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं के बाबत इन्तकाल नं0 13 दिनांकित 29.04.1993 को निरस्त किया जाकर अदालत मातहत को आदेशित किया जावे कि खातेदार अमरचंद पुत्र मेघराज के वारिसान की जांच कर अपीलान्ट का नाम मानसिंह के स्थान पर गिरधारी दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील तथ्यों की पुनरावर्ती कर तर्क प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम बडसरी का बास तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं में भूमि हाल खसरा नं0 4, 5, 6 खाता न0 नया 93 व पुराना खाता संख्या 30 है व ख0न0 16, 17, 18, 19, 20 कुल किता 5 कुल रकबा 5.8400 हैक्टर स्थित है जिसका खातेदार अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 3 का पिता अमरचंद पुत्र मेघराज था जिसका देहांत हो गया और जमीन जैर बहस में उक्त अमरचंद का 3/5 हिस्सा था। उसी के अनुसार कब्जा काश्त रहा है। अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट के पिता अमरचंद का देहान्त होने पर अदालत मातहत के समक्ष अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस द्वारा फौतगी इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए आवेदन किया। परन्तु पटवारी हल्का द्वारा सही वारिसान की जांच नही की है और अपीलान्ट का नाम मानसिंह दर्ज कर दिया और दिनांक 29.04.1993 को नामान्तरकरण संख्या 13 दर्ज किया गया है। जबकि अपीलान्ट का नाम मानसिंह न होकर गिरधारी है। इस तथ्य पर गौर नही कर अदालत मातहत ने गलत नाम दर्ज कर दिया है। अपीलान्ट का नाम मानसिंह पुत्र अमरचंद नही हो कर सही नाम गिरधारी पुत्र अमरचंद है और इसी नाम से अपीलान्ट के आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र बने हुए है। परन्तु अदालत मातहत ने पटवारी हल्का द्वारा सही जांच नही कर गलत रूप किए गये इन्द्राज पर ध्यान नही देकर अपीलान्ट का नाम मानसिंह पुत्र अमरचंद दर्ज कर दिया। जो गलत दर्ज किया है। अपीलान्ट अपने हक व हिस्से के अनुसार जमीन जर पर काबिज है। परन्तु राजस्व रिकार्ड की ओर ध्यान नही दिया। अब अपीलान्ट द्वारा अपने हक व हिस्से की जमीन पर सुधार के लिए बैंक से ऋण लेना चाहा तो बैंक कर्मचारियो ने रिकार्ड देखकर बताया तब अपीलान्ट द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष आवेदन पत्र अ0धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया। जिसका निर्णय दिनांक 26.04.2021 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा इस प्रकार से किया गया कि उक्त प्रकरण धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम के तहत नही आता है। जो विरासतन इन्तकाल दर्ज किया गया है। उसकी अपील कर उक्त नाम दुरूस्त करवाया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर भूमि हाल खसरा नं0 4, 5, 6, व 16, 17, 18, 19, 20 वाके ग्राम बडसरी का बास व अगवाना कलां तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं के बाबत इन्तकाल नं0 13 दिनांकित 29.04.1993 को निरस्त किया जाकर अदालत मातहत को आदेशित किया जावे कि खातेदार अमरचंद पुत्र मेघराज के वारिसान की जांच कर अपीलान्ट का नाम मानसिंह के स्थान पर गिरधारी दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 3 स्वयं उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 3 ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर वकील अपीलान्ट के कथनों का समर्थन किया तथा अपीलान्ट गिरधारी लाल का नाम राजस्व रिकार्ड मे मानसिंह के स्थान पर गिरधारी पुत्र अमरचंद किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अभिभाषक ने रेस्पोडेन्ट सं0 4 की ओर से अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा भरा गया नामान्तरकरण बाद जांच भरा गया है जिसमे कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज [illegible]

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन एवं दस्तावेजों से साफ जाहिर है कि स्व0 अमरचंद के चार पुत्र संताने थी जिनका उल्लेख नामान्तरकरण भरते समय किया गया है। उक्त चार पुत्र संतानों मे से 3 संताने अपील मे रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 3 के रूप मे मौजूद है। अपीलान्ट गिरधारी के आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र बने हुए है जिनमे अपीलान्ट के पिता का नाम अमरचंद अंकित है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 3 ने भी अपने शपथ पत्रों द्वारा अपीलान्ट को अमरचंद का पुत्र होने की पुष्टि की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.04 14:49:17 IST
Reason: SelfAttested

ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की यह अपील उचित प्रतीत होती है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 29.04.1993 निरस्त किया जाता है तथा पुनः सुनवाई हेतु इन निर्देशों के साथ अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्व0 अमरचंद के वारिसान की जांच कर अपीलान्ट को सुना जाकर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित किया जावे। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.04 14:49:17 IST
Reason: SelfAttested